न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 24/2022

अनवान : –

1. वीणा देवी पत्नि भंवरलाल जाति महाजन साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।

– प्रार्थी

बनाम्

1. भंवरी देवी पत्नि गोपीराम जाति महाजन साकिन बिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. अनीता
3. उर्मिला
4. सुशील

पुत्र पुत्रीयान गोपीराम जाति महाजन साकिन विलकी जाटान तहसील नोहर

5. गायत्री पत्नि चानणमल उर्फ चिरंजीलाल जाति महाजन साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
6. पिन्टू
7. सन्तोष
8. सुमित्रा

पुत्रीयान चानणमल उर्फ चिरंजीलाल जाति महाजन साकिन ढिलकी जाटान

9. रामी देवी पत्नि राधाकृष्ण जाति महाजन साकिन ढिलकी जाटान वहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
10. शारदा 11. जयकोरी 12. उर्मिला 13. धापा 14. धर्मपाल 15. कलावती 16. सत्यनारायण पुत्र व पुत्रीयान राधाकृष्ण जाति महाजन साकिन ढिलकी जाटान
17. लवि पुत्र स्व. रतनलाल पुत्र राधाकृष्ण जाति महाजन साकिन दिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
19. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर ।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 25/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा दिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता सं. 69/207 के ख.न. 22 की 67.05 बीघा ख.न. 48 की 44 बीघा, ख.न. 129 की 68 बीघा 02 बिस्वा कुल 179 बीघा 07 बिस्वा भूमि थी। जिसके श्रीराम, जुहारा, गणपत पि. मामराज जाति अग्रवाल निवासी दिलकी जाटान तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:51:19 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता सं. 69/207 के ख.न. 22 की 67.05 बीघा ख.न. 48 की 44 बीघा, ख.न. 129 की 68 बीघा 02 बिस्वा कुल 179 बीघा 07 बिस्वा भूमि खा भूमि थी तथा रोही मौजा दिलकी जाटान तहसील नोहर की कृषि भूमि वर्तमान में चको

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में हैक्टर में परिवर्तित एवं तब्दील हो चुकी है। तथा रोही मौजा दिलकी जाटान तहसील नोहर के ख.न. 22 की 67.05 बीघा हाल ख.न. 1 की 34 बीघा 10 बिस्वा में परिवर्तित एवं पैमुद हो चुकी है एवं रोही मौजा दिलकी जाटान तहसील नोहर के ख.न. 48 की 44 बीघा भूमि वर्तमान में रोही मौजा चक 13 जी.जी.एम. तहसील नोहर के प.न. 337/471 मु.न. 41 के किला नं. 6/1 की 0.2150 हैक्टर 6/2 की 0.0380 हैक्टर गै. मु. रास्ता 7–12, 13 की 0.7590 हैक्टर किला नं. 13/14 की 0.5060 हैक्टर, 15/1 की 0.2150 हैक्टर 15/2 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता 16/1 की 0.2150 हैक्टर 16/2 की 0.0380 हैक्टर गै. मु. रास्ता, व किला नं. 17 की 0.2530 हैक्टर व 18 व 19 की 0.5060 हैक्टर, व 22 ता 24 की 0.7590 हेक्टर, 25/1 की 0.2150 हैक्टर 25/2 की 0.0380 हैक्टर गे.मु रास्ता, प.न. 377/472 मु.न. 56 के किला नं. 3/1 की 0.227 हैक्टर 3/2 की 0.0260 हैक्टर मै. भुमु रास्ता, 4/1 की 0.228 हैक्टर 4/2 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. रास्ता, 5/1 की 0.1900 हेक्टर, 5/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 5/3 की 0.0380 हैक्टर में मु रास्ता, 6/1 की 0.2150 हैक्टर 6/2 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता7–8 की 0.5060 हेक्टर, प.न. 378/471 मुन. 40 के किला नं. 20–21–22 की 0.7590 हैक्टर प.न. 378/472 मु.न. 56 के किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.0120 हैक्टर भूमि कुल 36 किता की 9.8310 हैक्टर भूमि में परिवर्तित एवं पैमुद हुई।

श्रीराम पुत्र मामराज जाति महाजन साकिन बिलकी जाटान तहसील नोहर के चार लड़के चानणमल गोपीराम, राधाकिशन एवं भवरलाल हुऐ परन्तु एकीकरण एवं भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि चार पुत्रगणी की बजाय केवल तीन पुत्रगणो राधाकिशन, वानणराम एवं गोपीराम के नाम दर्ज कर दी एवं राधाकृष्ण पुत्र श्रीराम ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि मांगीलाल पुत्र गणपतराम उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं तथा राधाकृष्ण फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान गैरसयलान सं. 9 ता 17 है तथा चानणमल पुत्र गोपीरााम भी फौत हो चुका है जिनके जायज वारिसान एवं उनके विधिक उत्तराधि कारी को उनकी जगह पक्षकार बनाया गया है। भवंरलाल पुत्र श्रीराम भी फौत हो चुका है तथा उनके वारिसान सायला दावा में दर्ज एंव तरतीबी प्रतिावदीगण सं. 19 ता 27 है यह कि उपरोक्त आराजी मुतनाजा में श्रीराम के फौत होने पर उसके 1/3 हिस्सा में गैरसयल सं. 1 के पति एवं गैरसयलान सं. 2 ता 4 के पिता के नाम एंव गैरसयल सं. 5 के पति एवं गैरसयलान सं. 6 ता 8 के पिता का नाम दर्ज कर दिया एवं अमला माल की गलती की वह से सायला के पति एवं दावा में दर्ज प्रतिवादीगण सं. 19 ता 27 के पिता का नाम दर्ज नही हुआ तथा उनके अपने हक व हिस्सा से महरूम कर दिया इसलिए वादग्रस्त आराजी में सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 19 ता 27 गैरसयलान सं. 1 ता 8 के साथ अपना हक व हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है इसलिए रोही मौजा दिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता सं 95/103 की कुल तादादी 8.7290 हैक्टर भूमि में सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 19 ता 27 ब.हि.ब. 1/27 हिस्स, गैरसयलान सं. 1 ता 4 ब.हि.ब. 1/27 हिस्सा गैरसयलान सं. 5 ता 8 व.हि.ब. 1/27 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 13 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 53/49 की कुल तादादी 6.8310 हैक्टर भूमि में सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 19 ता 28. ब.हि.ब. 1/27 हिस्सा, गैरसयलान सं. 1 ता 4 की 1/27 हिस्सा व गैरसयलान सं. 5. ता 8 ब.हि.ब. 1/27 हिस्सा, के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता स. 64/60 की कुल तादादी 5.224 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर की कुल तादादी 4.2760 हैक्अर भूमि में सायला व दावा में दर्ज तरतीबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:51:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण सं. 19 ता 28 ब.हि.य. 1/27 हिस्सा एवं गैरसयलान सं. 1ता 4 ब.हि.ब.1/27 हिस्सा एवं गैरसयलान सं. 5 ता 8 ब.हि.ब. 1/27 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक राधाकृष्ण का नाम कलमजन करवापोन के अधिकारी है। वाद भूमि गैरसयलान सं. 1 ता 17 अकेले के नाम दर्ज रहने से गैरसयलान संख्या 1 ता 17 के मन में बदयान्ति आ गई तथा वे वाद भूमि अपने नाम दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर वाद भूमि को रहन / बैय करने पर आमादा है यदि गैरसयलान संख्या 1 ता 17 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 19 ता 27 को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए सायला जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसयलान संख्या 1 ता 17 को वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाने व रहन / वैय करने से पाबन्द करवा पाने की अधिकारिणी है।

लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायला पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अगर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा दिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता सं. 95/103 की कुल तादादी 8.7290 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 13 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 53/49 की कुल तादादी 6.8310 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 64/60 की कुल तादादी 5.2246 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर की कुल तादादी 4.2760 हैक्टर भूमि को गैरसायलान रहन/बैय व मुन्तकिल ना करे एंव सायला के कब्जा काश्त में मदालतखत बैजा करने से निषिद्ध रहे। एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 95/103 की कुल 8.7290 हैक्ट एवं रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता संख्या 53/49 की कुल 6.8310 हैक्ट व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 64/60 की कुल 5.2246 हैक्ट व रोही मोज चक 11 बारानी के खाता संख्या 350/334 की कुल 4.2760 हैक्ट में से गैरसायल के नाम दर्ज भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि में से प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः—

1. प्रथम दृष्टया मामला :— प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:51:19 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 ता 17 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 ता 17 के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उनके बाद अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

परिवार के सदस्यों के मध्य है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि सायला के पति के पूर्वजो की नाम दर्ज रही है जबकि सायला के पति के नाम दर्ज नही हुई है जबकि उक्त भूमि मे प्रथम दृष्टया सायला के पति का भी हक हिस्सा था सायला के पति भंवरलाल का देहान्त हो चुका है एवं भंवरलाल के जायज वारिसान सायला व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 27 है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 95/103 की कुल 8.7290 हैक्ट एवं रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता संख्या 53/49 की कुल 6.8310 हैक्ट व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 64/60 की कुल 5.2246 हैक्ट व रोही मोज चक 11 बारानी के खाता संख्या 350/334 की कुल 4.2760 हैक्ट भूमि में प्रार्थीया के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:51:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर